

Rev / राजस्व / 23/12/22
 Issue/निर्गत.....
 Dt. 23.12.22





आम सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम: गिद्दी थाना: डाडी, थाना सं: 36 ; जिला :- हजारीबाग, , (झारखण्ड) के कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 {CBA (A&D) Act 1957}, SO No. 1244 E दिनांक. 17.3.2021 के तहत CCL के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT, 2013)' के अन्तर्गत भूमि-मुआवजा के लिए दावा CCL के समक्ष पेश कि गयी है जिसका कि जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति/approval हेतु प्रक्रिया जारी है. आवेदन के अनुसार भू-स्वामी, भूमि का विवरण व भूमि मुआवजे कि गणना कि गयी राशि कि जानकारी इस प्रकार है :-

अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957	ग्राम	रैयत का नाम	भूमि का प्रकार	खाता सं°	प्लॉट सं°	दावित रकवा (एकड़ में)	प्रस्तावित मुवाअजा राशि (रूपया में)	प्रस्तावित मुवाअजा का आधार
1244 E दिनांक 17.3.2021	गिद्दी	जगदीश साव	रैयती	42	129	0.64	16286720.00	खतियान
		बिगन साव				0.64	16286720.00	खतियान
		गुजा साव		35	112	0.43	10942640.00	खतियान
		अमृत साव				0.43	10942640.00	खतियान
		कार्तिक महली		9	117	0.01	254480.00	खतियान
					118	0.40	10179200.00	खतियान
				कुल	0.41	10433680.00	खतियान	
		बिहारी महली		43	113	0.01	254480.00	खतियान
					114	0.38	9670240.00	खतियान
				कुल	0.39	9924720.00	खतियान	
		महारंगा गंडु भीमा गंडु एवं रथवा गंडु		55	635	0.12	3053760.00	खतियान
				कुल	3.06	77870880.00		

अगर उक्त विवरण ,दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में कार्यालय परियोजना पदाधिकारी, गिद्दी परियोजना, सी.सी.एल, कार्यालय महाप्रबंधक अरगड़ा क्षेत्र, सी.सी.एल या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, राँची के समक्ष उठा सकते है।

अगर उक्त 10 (दस) दिनो के अंदर, इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

 23/12/22
 23/12/2022
 23/12/22
 23/12/2022